

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2019 — भाद्रपद 1, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2019

सूचना

क्रमांक एफ 11-08/2017/सात-1. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोरिया	खड़गवा	चिरमिरी	रा. नि. मण्डल खड़गवा के पटवारी हल्का नं. 13 एवं 16 के आश्रित कुल 4 ग्राम, रा. नि. मण्डल उधनापुर के पटवारी हल्का नं. 9, 10, 11, 14, 21 एवं 22 के आश्रित कुल 16 ग्राम,	उत्तर-तहसील बैकुण्ठपुर एवं मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, दक्षिण-तहसील खड़गवा, जिला कोरिया, पूर्व-तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अतः, 8 पटवारी हल्के के कुल 20 ग्राम नवीन तहसील "चिरमिरी" में शामिल होंगे.	पश्चिम-तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता यादव, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 23rd August 2019

NOTICE

No. F 11-08/2017/Seven-1.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), Notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tehsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tehsil	Create New Tehsil	Nature of change	Boundaries of new Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Koriya	Khandganva	Chirmiri	Total 4 dependent villages of Patwari Halka No. 13 and 16 of Khandganva R. I. Circle	North-Tehsil Baikunthpur and Manendragarh, District Koriya
				Total 16 dependent villages of Patwari Halka No. 9, 10, 11, 14, 21 and 22 of Uddhanapur R. I. Circle	South-Tehsil Khadgawan, District Koriya
					East-Tehsil Baikunthpur, District Koriya
				Thus, total 20 villages of 8 Patwari Halkas shall be included in new Tehsil "Chirmiri".	West-Tehsil Manendragarh, District Koriya.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RITA YADAV, Deputy Secretary.